फैक्स एवं
ई-मेल

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-02/2018........92........../जे0, पटना, दिनांक 19-03-18

सेवा में,

निदेशक,
बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट, पटना।

विषयः- मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0001-बिहार न्यायिक अकादमी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु मोटरगाड़ी-कार्यालय(5101) विषयशीर्ष में बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के माननीय अध्यक्ष के लिए एक नई वाहन के क्रय हेतु कुल 23,00,000/-(तेईस लाख) रूपये की आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः- **स्वीकृत।**

2. व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0001-बिहार न्यायिक अकादमी के अंतर्गत मोटरगाड़ी-कार्यालय (5101) विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।

3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561वि0(2), दिनांक 17.04.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।

4. वित्त विभाग के ज्ञाप सं0-307/वि0, दिनांक 15.03.2018 द्वारा तृतीय अनुपूरक के माध्यम से स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. बिहार न्यायिक अकादमी से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति, वित्त विभाग के संसूचित ज्ञापांक-2084 दिनांक 19.03.2018 द्वारा बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के माननीय अध्यक्ष के लिए रु0 23,00,000/-(तेईस लाख) रूपये की अधिसीमा में एक नई वाहन के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. कृपया उक्त आवंटित राशि का व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन ससमय कराया जाय। अतिरिक्त आवंटन की मांग करते समय व्यय का विवरण भेजा जाना आवश्यक है अन्यथा आपकी मांग का प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

7. इस शीर्ष की माँग सं0-27 एवं विपत्र कोड-एन-2014000030001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सु0प्र0शर्मा 19/3/18
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-02/2018........92........../जे0, पटना, दिनांक 19-03-18

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, उपकोषागार गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सु0प्र0शर्मा 19/3/18
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार

RA

(कृ0पृ0उ0)

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-02/2018.........92........./जे0, **पटना, दिनांक** ......19-03-18......

प्रतिलिपिः-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-02/2018.........92........./जे0, **पटना, दिनांक** ......19-03-18......

प्रतिलिपिः-विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार

14

परिचालन के माध्यम से प्राप्त सहमति से संबंधित प्रशासी पदवर्ग समिति की कार्यवाही

विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत समिति की सहमति प्राप्त की गई :-

1. श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव – अध्यक्ष ।
2. श्री शिशिर सिन्हा, विकास आयुक्त – सदस्य ।
3. श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग – सदस्य ।
4. श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव, वित्त विभाग – सदस्य ।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विषय	अभ्युक्ति
1.	**विधि विभाग** सं०सं०-ए०यो०अकादमी पद सृजन-52/12 (खंड) ज्ञापांक-2430, दि०-10/03/18	बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट, गुलजारबाग, पटना के माननीय अध्यक्ष हेतु 01 (एक) नई गाड़ी 23 लाख रुपये लागत मूल्य पर क्रय किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत ।**

(सुजाता चतुर्वेदी) 14/3
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

14.3.18
(आमिर सुबहानी)
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

(शिशिर सिन्हा)
विकास आयुक्त

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

बिहार सरकार
वित्त विभाग ।

ज्ञापांक-3ए-8-बैठक-03/2014-अंश-II /वि० 2084 पटना, दिनांक- 19-3-18

प्रतिलिपि- **सचिव**, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2018
(सुरेन्द्र ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव,
वित्त विभाग।